प्रेस नोट ***04/06/2025***

अन्तरजनपदीय शातिर लुटेरा गिरफ्तार, कब्जे से विभिन्न आभुषण (पीली/सफेद धातु) बरामद–

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 03.06.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान लूट के अभियोग की घटना मे शामिल वांछित अभियुक्त को सिकटिया पुल के पास थाना कोतवाली नगर मऊ से 01 नफर अभियुक्त ओम प्रकाश बिन्द उर्फ बक्सी पुत्र स्व0 रामनाथ निवासी गोडा थाना सदर कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 37 वर्ष को एक अदद पीली धातु की लाकेट गोलाकार व चोरी की दो अदद पायल व 06 अदद बिछिया सफेद धातु एवं एक अदद देशी तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जो दिनांक 19.05.2025 को मुहल्ला निजामुद्दीनपुरा की रहने वाली मीना द्विवेदी पत्नी अखिलेश द्विवेदी को हिन्दी भवन के पास फूल तोड़ने मे व्यस्त होन के कारण गले से सिकड़ी खीच कर भाग गया था। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 174/25 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध कुल 31 अभियोग पंजीकृत है। जिसमें जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानों पर 26 अभियोग व जनपद बलिया के विभिन्न थानों पर 02 अभियोग तथा जनपद मऊ के कोतवाली नगर थाने पर 03 अभियोग पंजीकृत है।

अपराध करने का तरीका - उक्त अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जो सुबह – सुबह टहलने वाली अकेली महिलाओ का पीछा करके रेकी करते है तथा मौका पाकर गले से चेन इत्यादि को छीनकर तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए भाग जाते है।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 156/2025 धारा 309(4), 317(2), 317(4) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. मु.अ.सं. 0110/2025 धारा 331(4), 305(A), 317(2), 317(4) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. मु.अ.सं. 174/25 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. ओम प्रकाश बिन्द उर्फ बक्सी पुत्र स्व0 रामनाथ निवासी गोडा थाना सदर कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 37 वर्ष।

बरामदगी –

1. एक अदद पीली धातु की लाकेट गोलाकार
2. चोरी की दो अदद पायल व 06 अदद बिछिया सफेद धातु
3. एक अदद देशी तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ0नि0 सुभाष चन्द्र चौकी प्रभारी भीटी, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. उ0नि0 देवेन्द्र प्रताप सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. हे0का0 इमरान खान थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. का0 रवि किरण सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.06.2025 को थाना कोपांगज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर इन्दारा रेलवे स्टेशन के पास से मु0अ0सं0 87/25 धारा 137(2), 87. 351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त आदित्य राजभर पुत्र गोलु राजभर निवासी कसारा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 65(1) बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।